न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—169/2018/223 (2018/00169)

1. गणेश पुत्र गंगाराम,
2. भींवा पुत्र गंगाराम,
3. रामेश्वर पुत्र गंगाराम,

समस्त जाति जाट, नि0 ग्राम जूणदा, तह0 रूपनगढ़, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. मूलसिंह पुत्र मालसिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम जूणदा, तह0रूपनगढ़ जिला अजमेर ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, रूपनगढ़, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ दिनांक 13.4.2018 अंतर्गत वाद संख्या 45/2015 .

उपस्थितः—

1. श्री रामसुख चौधरी, वकील अपीलांटस ।
2. श्री डूंगरसिंह, वकील रेस्पो0 संख्या 1.
3. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पो0 संख्या 2.

निर्णय

दिनांकः— 31.01.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 13.4.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/अपीलांटस ने अधी0न्याया0 में वाद अंतर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि व धारा 136 राज0भू—राजस्व अधि0 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम जूणदा, तहसील रूपनगढ़ में एकीकरण खसरा नंबर 126 हाल खसरा नंबर 126 बंदोबस्त खसरा नंबर 423/1 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नंबर 319/1 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नंबर 320/2 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा कुल रकबा 24 बीघा 4 बिस्वा भूमि वादीगण के कब्जे काश्त एवं खातेदारी में दर्ज है । उक्त भूमि के पास खसरा नंबर 129 रकबा 15 बीघा हाल व एकीकरण खसरा संख्या 129 व गत बंदोबस्त खसरा नंबर 326 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नंबर 328 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नंबर 323 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नंबर 322, 321 रकबा 15 बीघा भूमि स्थित है । बंदोबस्त खसरा नंबर 328 एकीकरण व हाल खसरा नंबर 129 रकबा 2 बीघा बिस्वा भूमि भी वादीगण के कब्जे काश्त व खातेदारी की है । उक्त भूमि बंदोबस्त में वादीगण के स्व0 पिता गंगाराम के भाई भाग्या के नाम थी । ग्राम जूणदा की बंदोबस्त खसरा नंबर 326 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नंबर 323 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नंबर 322, 321 रकबा 6 बीघा 8 बिस्वा के कुल रकबा 12 बीघा 17 बिस्वा के खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 मूलसिंह है । जमाबंदी में प्रतिवादी मूलसिंह के नाम बंदोबस्त खसरा नंबर 328 एकीकरण व हाल खसरा नंबर 129 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा गलत व

खिलाफ कानून जमाबंदी में खातेदारी दर्ज हो रखी है । प्रतिवादी मूलसिंह खसरा नंबर 129 रकबा 15 बीदघा का खातेदार नहीं है । प्रतिवादी मूलसिंह के नाम गलत व खिलाफ कानून 12 बीघा 17 बिस्वा के स्थान पर 15 बीघा का इंद्राज होने से वह 15 बीघा जमीन पर कब्जा करना चाहता है व गत वर्ष फसल खरीफ में 1.7.2012 को काश्त को लेकर विवाद हुआ था । अतः राजस्व रिकार्ड में खसरा नंबर 129 रकबा 15 बीघा में 2 बीघा 3 बिस्वा भूमि प्रतिवादी के खाते में से कम करके वादीगण के नाम खातेदारी दर्ज की जावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने निर्णय व डिक्री दिनांक 13.4.2017 को वादी/आपीलांट का वाद खारिज करने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 ने अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अपीलांटस ने अधी0न्याया0 के समक्ष कथन किया था कि ग्राम जूणदा स्थित आराजी खसरा नंबर 328 व 424 रकबा 10–13–00 बीघा भूमि अपीलांटस के पिता गंगाराम वल्द अर्जुनराम, जाति जाट के सगे भाई भागीया वल्द अर्जुनराम जाति की खातेदारी काश्तकारी की आराजिहयात है जो वाद के के संलग्न प्रदर्श ए–23 से स्वंय सिद्ध थी । वादग्रस्त आराजियात में से रकबा 2–3–00 भूमि ग्राम जूणदा के हाल खसरा नंबर 129 रकबा 15 बीघा में राजस्व विभाग द्वारा गैर कानूनी रूप से रेस्पो0 के नाम अंकित कर दी जबकि रेस्पो0 के नाम खसरा नंबर 129 में रकबा 12–17–00 भूमि खाते में अंकित होनी चाहिये थी । वादीगण के उक्त कथनों का रेस्पो0 द्वारा खण्डन नहीं किया गया इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने वादीगण/अपीलांटस का वाद खारिज करने में त्रुटि की है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 का यह दायित्व था कि दावे एवं जवाबदावे के आधार पर उनके द्वारा कायम विवादित बिन्दुओं का उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का विवेचन व विश्लेषण करते हुए प्रत्येक तनकी का पृथक–पृथक निस्तारण करे किन्तु उन्होंने ऐसा न कर सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 20 नियम 5 में वर्णित प्रावधानों को नजरअंदाज कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है । बहस में आगे कथन किया कि वादीगण के वाद का जवाब दावा रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत किया गया जिसमें रेस्पो0 ने वादपवत्र में अंकित अभिवचनों का स्पष्ट रूप से खण्डन किये बिना एंव रेस्पो0 द्वारा काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किये बिना रेस्पो0 को वादग्रस्त आराजियात के नक्शा ट्रेस में अभिलेख में अंकित रकबा 15 बीघा के अनुसार अंकन करने के निर्देश तहसीलदार, रूपनगढ़ को प्रदान नहीं किये जा सकते थे । रेस्पो0 द्वारा ववादित आराजी में गैर कानूनी रूप से राजस्व विभाग द्वारा किये अंकन को आधार बनाकर पृथक से सहायक कलक्टर, किशनगढ के समक्ष एक प्रार्थना पत्र धारा 131, 136 बउनवान मूलसिंह बनाम श्रीमती हस्तुड़ी प्रस्तुत किया था जिसे सहायक कलक्टर, किशनगढ़ द्वारा दिनांक 14.1.2004 को निरस्त किया गया है । उक्त आदेश के विरूद्ध रेस्पो0 द्वारा अपील न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजेर के समक्ष प्रस्तुत की जिसे अति0 संभागीय आयुक्त, अजमेर ने निर्णय दिनांक 31.5.2012 को आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रकरण सहायक कलक्टर, किशनगढ़ को प्रतिप्रेषित किया था जिसे परीक्षण न्याया0 ने आदेश दिनांक 3.7.2014 के

माध्यम से रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जा चुका है तथा इस आदेश के विरूद्ध रेस्पो0 द्वारा सक्षम न्यायालय में कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई है अर्थात् परीक्षण न्यायालय का आदेश दिनांक 3.7.2014 अंतिम हो चुका है । उक्त विधिक स्थिति को नजरअंदाज कर अधी0न्याया0 ने वादीगण का वाद खारिज करने मे त्रुटि कारित की है। बहस में आगे कथन किया कि अपीलांटस द्वारा अधी0न्याया0 में अपने वाद को दस्तावेजी साक्ष्यों से सिद्ध कराया था जिसके अनुसार अधी0न्याया0 को वादीगण का वाद डिक्री करना चाहिये था । अधी0न्याया0 ने वादीगण/अपीलांटस के वाद को राजस्व वाद संख्या 67/1998 निर्णय दिनांक 23.12.2000 को आधार बनाकर खारिज करने में त्रुटि कारित की है क्योंकि उक्त प्रकरण का निस्ताण पूर्णतया रेस्पो0 के हक में नहीं किया गया था एवं उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 23.12. 2000 को 12 वर्ष से अंधिक का समय हो चुका है ऐसी स्थिति में उक्त निर्णय व डिक्री विधिक दृष्टि से प्रभावहीन हो चुकी है । रेस्पो0 ने भी उक्त निर्णय व डिक्री की अनुपालना करवाने बाबत् कोई प्रयास नहीं किये है । अधी0न्याया0 ने उपरोक्त सभी तथ्यों को नजरअदांज कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री द्वारा वादीगण/अपीलांटस का वाद खारिज करने में त्रुटि की है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री दिनांक 13.4.2018 निरस्त किया जावे तथा वादीगण/अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार कर वादीगण/अपीलांटस को विवादित आराजियात का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे । विद्वान वकील अपीलांटस ने अपने कथनों के समर्थन में आर0बी0जे0 1996 पेज 581, आर0बी0जे0 2011 पेज 163 एवं 1996 आर0आर0डी0 पेज 100 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये ।

5. जवाब में विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । बंदोबस्- खसरा नबर 328 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा, बंदोबस्त खसरा नंबर 326 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नंबर 323 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नंबर 321 व 322 रकबा 6 बीघा 8 बिस्वा कुल किता 5 कुल रकबा 15 बीघा का बंदोबस्त खसरा नंबरान का राजस्थान सरकार द्वारा भूमि एकीकरण विभाग ने भूमि एकीकरण वर्ष सवंत् 2019 में भू–संशोधन के कार्यक्रम में पुनः विभाजन के पश्चात् नवीन एकीकरण खसरा नंबर 129 रकबा 15 कायम किया है, एकीकरण खसरा नंबर 129 रकबा 15 बीघा से भू–प्रबधं विभाग, अजमेर ने मौजूदा खसरा नंबर 129 रकबा 15 बना है जिसका ग्राम जूणदा के राजस्व अभिलेख में इंद्राज दर्ज है तथा जिसका रेस्पो0 संख्या 1 मूलसिंह ही एकमात्र करीबन 54 सालों से लगातार खातेदार काश्तकार है । बहस में आगे कथन किया कि राजस्व अभिलेख के विपरीत पुनः विभाजन के बाद में भू–प्रबंध विभाग ने राजस्व मानचित्र में उक्त वादग्रस्त भूमि पर गलत तरमीम की है जो अवैध व शून्य है, जिसकी वजह से ही पक्षकारान के मध्य वाद विचाराधीन है । विद्वान अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर के निर्णय दिनांक 31.5.2012 के रिमाण्ड आदेश पारित हो रखे है जिसमें दिये गये निर्देशों की धारा 88 राज0काश्त0अधि0 के वाद के विचाराधीन रहने से पालना नहीं हई है । मूलसिंह के कब्जे काश्त व रिकार्डेड खसरा रनंबर 129 रकबा 15 बीघा श्खातेदारी में से बंदोबस्त खसरा नंबर 328 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा को हडपने की नियत से रेस्पो0 संख्या 1 स्व0 हस्तुडी बेवा गंगाराम की पुत्रियों से अपील के दौरान रिलीज डीड द्वारा हक त्याग कराके, पंजीकृत नामांतकरण खुलवाकर न्यायालय में जानकारी छिपाकर रिमाण्ड आदेश पर दिनांक 8.10.2012 को झूंठी आपत्तियों का प्रार्थना पत्र पेश कर धारा 88 राज0काश्त0अधि0 व पुनः धारा 136 एल0आर0एक्ट के तहित गलत व झूंठा वाद पेश किया है ।

वादीगण का वाद चलने योग्य नहीं था । अधी0न्याया0 ने विधिसम्मत् रूप से निर्णय व डिक्री पारित की है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है ।

6. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांटस द्वार प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण हाजा न्यायालय द्वारा पूर्व में निर्णय दिनांक 18.7.2018 को किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जा चुकी है ।

7. प्रकरण के गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । अपीलांटस के विद्वान अभिभाषक का दौराने बहस यह कथन रहा है कि अधी0न्याया0 ने प्रकरण में तनकियात तो कायम की किन्तु निर्णय तनकीवार नहीं किया है जो आदेश 20 नियम 5 जा0दी0 के प्रावधानों के विपरीत है । इस संबंध में अधी0न्याया0 के निर्णय व डिक्री का अवलोकन से स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 ने वाद में वादपत्र एवं जवाबदावे के आधार कुल 7 तनकियात कायम की है किन्तु निर्णय तनकीवार किया जाना प्रकट नहीं होता है जबकि आदेश 20 नियम 5 जा0दी0 में स्पष्ट प्रावधान है कि प्रत्येक तनकी पर पृथक–पृथक रूप से निर्णय पारित किया जाना चाहिये था इसी प्रकार पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि रेस्पो0 द्वारा परीक्षण न्यायालय के समक्ष केवल मात्र जवाबदावा प्रस्तुत किया है उसके संलग्न पृथक से कोई काउन्टर क्लेम प्रस्तुत नहीं किया गया है इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को खारिज कर रेस्पो0 संख्या 1 को बिना काउन्टर क्लेम के खसरा नंबर 129 के राजस्व नक्शा ट्रेस को दुरूस्त करने के आदेश पारित किये है जबकि डिक्री दिनांक 13.4.2018 में नक्शा ट्रेस दुरूस्ती बाबत् कोई डिक्री नहीं बनाई गई है जिससे अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री परस्पर विरोधाभाषी है । इस संबंध में हम विद्वान वकील अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आर0आर0डी0 1996 पेज 100 का ससम्मान अवलोकन किया जिसमें यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि बिना काउन्टर क्लेम के प्रतिवादी को कोई अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता है । उक्त विवेचन के क्रम में अधी0न्याया0 के निर्णय व डिक्री को विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री दिनांक 13.4.2018 खारिज योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

8. अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ का निर्णय व डिक्री दिनांक 13.4.2018 खारिज किया जाता है तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे निर्णय में दिये गये आब्जर्वेशनस् के क्रम में उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समचित अवसर प्रदान कर वादपत्र को विधिनुसार निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

9. निर्णय आज दिनांक 31.1.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर